

छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानुदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9-37 / 2014 / तक.शि. / 42
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 6 / 8 / 2015

आयुक्त-सह-संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

विषय :- तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति में संशोधन बाबत।

---0---

राज्य शासन एतद्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18.9.2014 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के पत्र क्रमांक /छस्वावितवि/प्रशा./2015/1946, 1948, एवं 156-R, दिनांक 29.7.2015 द्वारा दी गई सहमति अनुसार अन्य राज्य के तकनीकी संस्थाओं से राज्य में संचालित तकनीकी संस्थाओं में स्थानांतरण करने एवं बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्थाओं में समायोजन करने हेतु तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण करने के संबंध में पूर्व प्रचलित नीति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-


क्र.	पूर्व प्रचलित नीति	संशोधन
1.	<p>5(i) अन्य राज्यों की शासकीय तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य के शासकीय संस्था में स्थानांतरण रिक्त स्थानों पर छ.ग. राज्य के छात्रों की प्राथमिकता के बाद अन्य राज्य के छात्रों का मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा।</p> <p>5(ii) अन्य राज्यों के छात्रों का एआई सीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य में तथा छ.ग. राज्य के छात्रों का अन्य राज्यों में स्थानांतरण स्थान रिक्त रहने पर उपरोक्त नीति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा</p>	<p>(i) अन्य राज्यों की तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य की शासकीय संस्था में स्थानांतरण नहीं हो सकेंगे।</p> <p>(ii) अन्य राज्यों की एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य की स्वशासी - स्ववित्तीय एवं निजी संस्था में स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण हो सकेंगे।</p> <p>(iii) अंतर्राज्यीय स्थानांतरण के समय छात्रों को पूर्व सेमेस्टर्स की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।</p> <p>(iv) स्थानांतरण के लिये छात्र को संबंधित दोनों संस्थाओं एवं वर्तमान विश्वविद्यालय, जहाँ वह अध्ययनरत है, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के संबंधित विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। वांछित संस्था में वांछित ब्रांच में स्थान रिक्त होने की स्थिति में</p>

15/8/15

		<p>छत्तीसगढ़ के संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु तकनीकी शिक्षा संचालनालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। तकनीकी शिक्षा संचालनालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा T-3 जारी किया जावेगा।</p> <p>(v) अंतर्राज्यीय स्थानांतरण मामलों में विवाद की स्थिति में प्रकरण पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा।</p> <p>(vi) राज्य स्तर के स्थानांतरण पश्चात् सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्यों के छात्रों का स्थानांतरण उपरोक्त नियमानुसार किया जावेगा। अन्य राज्यों के छात्रों के स्थानांतरण में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।</p>
2.	<p>पूर्व प्रचलित नियम में संस्था बंद होने की दशा में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्था में समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है।</p>	<p>छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित तकनीकी संस्था बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों का छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य तकनीकी संस्था में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किया जावेगा। स्थानांतरण अन्य संस्था की रिक्त सीटों के विरुद्ध किसी भी सेमेस्टर में जिसके लिए छात्रों की पात्रता है, किया जावेगा। ऐसे समायोजन के लिए छात्रों के पिछली परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के संबंध में कोई बंधन नहीं होगा। स्थानांतरण द्वारा समायोजन की कार्यवाही नियमित स्थानांतरण संपन्न होने के पश्चात् की जावेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व घोषित तिथि में कॉउंसिलिंग आयोजित की जावेगी। कॉउंसिलिंग के लिए मेरिट निर्धारण की शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा तय की जावेगी।</p>


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(अमृतलाल लिखार)

अवर सचिव

 दूरभाष-0771-2510140

पृष्ठां. क्रमांक एफ 9-37/2014/तक.शि./42,
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर दिनांक /8/2015

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
 2. कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, जिला दुर्ग
 3. प्राचार्य, समस्त शासकीय/निजी/इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक/कन्या पॉलीटेक्निक संस्थाएं, छत्तीसगढ़
 4. मास्टर फाईल तकनीकी शिक्षा विभाग
- सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अमृतलाल लिखार)
अवर सचिव

दूरभाष-0771-2510140